

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पटना, दिनांक— ०१/०९/२०२५

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना हेतु मार्गदर्शिका

बिहार सरकार के द्वारा राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसन्द का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना प्रारंभ की गयी है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसन्द का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देना है ताकि प्रत्येक परिवार की एक महिला उद्यमी के रूप में स्थापित हो सके। आर्थिक सहायता के रूप में राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद के रोजगार हेतु 10 हजार रुपये की राशि प्रथम किस्त के रूप में दी जायेगी। महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के बाद शीघ्र ही आकलन करते हुए 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता आवश्यकतानुसार दी जा सकेगी। इस योजना का क्रियान्वयन बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा किया जाएगा।

मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के उपरांत निर्गत संकल्प संख्या—ग्रा०वि०-६—NRLM/01-25/2025/4532790 दिनांक—२९.०८.२०२५ की कंडिका ५ (iv) में निम्नवत अंकित है:-

इच्छुक महिलाओं से आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी। इसकी पूरी व्यवस्था एवं प्रक्रिया का निर्धारण ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जाएगा। शहरी क्षेत्र में इस योजना के क्रियान्वयन में नगर विकास एवं आवास विभाग का आवश्यकतानुसार सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

इस परिप्रेक्ष्य में योजना के संबंध में शर्तें एवं प्रक्रिया निम्नवत निर्धारित की जाती है :—

- i. योजना अन्तर्गत परिवार से आशय है, पति—पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे। अविवाहित वयस्क महिला जिनके माता—पिता जीवित नहीं हो, उन्हें योजना के प्रयोजनार्थ एकल परिवार माना जायेगा एवं नियमानुसार लाभ प्रदान किया जाएगा।



- ii. जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़े सभी सदस्य (एक परिवार से एक महिला) इस योजना के लाभ हेतु पात्र होंगे, उन्हें विहित प्रपत्र में संबंधित ग्राम संगठन में आवेदन करना होगा। विहित प्रपत्र अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है।
- iii. जो महिलाएँ जीविका स्वयं सहायता समूह से बाहर हैं, उन्हें योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ना अनिवार्य होगा। इन महिलाओं को जीविका स्वयं सहायता समूह में जोड़े जाने हेतु संबंधित ग्राम संगठन में विहित प्रपत्र में स्व-घोषणा (Self-declaration) एवं आवेदन देना होगा। विहित प्रपत्र अनुलग्नक-2 के रूप में संलग्न है। साथ ही योजना का लाभ लेने हेतु भी अनुलग्नक-1 में आवेदन देना होगा। सदस्यों को जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ने हेतु निम्न शर्त होगी :-
 - (क) आवेदिका की उम्र 18–60 वर्ष होनी चाहिए।
 - (ख) आवेदिका अथवा उनके पति आयकर दाता की श्रेणी में न हो।
 - (ग) आवेदिका स्वयं अथवा उनके पति सरकारी सेवा (नियमित/संविदा) में न हों।

योजना के क्रियान्वयन की रूप-रेखा :-

ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना का क्रियान्वयन जीविका संपोषित ग्राम संगठन द्वारा किया जाएगा एवं संकुल स्तरीय संघ द्वारा पूर्ण पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण किया जाएगा। ग्राम संगठन द्वारा सभी पात्र सदस्यों से अपनी पसंद के रोजगार हेतु 10 हजार रुपये की राशि प्रथम किश्त के रूप में उपलब्ध कराने हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त किया जाएगा। उसके उपरांत ग्राम संगठन की विशेष बैठक का आयोजन कर सदस्यों से प्राप्त आवेदनों को अनुमोदित कर जीविका प्रखंड इकाई को प्रेषित किया जाएगा एवं सम्पूर्ण प्रक्रिया को ग्राम संगठन की कार्यवाही पुस्तिका में अंकित किया जाएगा।

प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई, जीविका द्वारा सभी आवेदनों की एम०आई०एस० पोर्टल पर प्रविष्टि सुनिश्चित की जाएगी, जिसमें अनिवार्य रूप से आधार संख्या अंकित की जाएगी। उसके बाद सभी आवेदनों का एम०आई०एस० डाटाबेस बैंक खाते में राशि हस्तांतरण हेतु जीविका जिला इकाइयों को प्रेषित किया जाएगा, जो जाँचोंपरांत उसे जीविका मुख्यालय को प्रेषित करेंगे। जीविका मुख्यालय द्वारा डी०बी०टी० (आधार आधारित) के माध्यम से राशि लाभुकों के आधार से सम्बद्ध बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।

नगर निकाय क्षेत्रों में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा एक ऑनलाईन पोर्टल विकसित किया जाएगा जिसके माध्यम से सभी इच्छुक महिलाओं से आवेदन प्राप्त किये जाएँगे। शहरी क्षेत्रों में लाभुकों को राशि हस्तांतरित करने के सम्बन्ध में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति द्वारा विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की जायेगी।

उद्यम संचालन हेतु क्षमता संवर्धन एवं उद्यमिता प्रशिक्षणः—

जीविका द्वारा लक्षित परिवारों को उद्यम के बैहतर संचालन एवं तकनीकी तथा प्रबंधकीय कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इसके साथ ही परिवारों को उद्यम चयन एवं संचालन हेतु सूक्ष्म कार्य योजना तैयार करने के लिए भी प्रशिक्षित किया जायेगा। जीविका द्वारा तकनीकी सहायता एवं अभिसरण के उद्देश्य से संगत विभागों एवं संस्थाओं के साथ साझेदारी की जाएगी।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) योजना के क्रियान्वयन का सतत अनुश्रवण करेंगे एवं समय—समय पर आवश्यक दिशा—निर्देश जारी कर सकेंगे। साथ ही, महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के उपरांत आकलन कर 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अलग से दिशा—निर्देश जारी किये जाएंगे।

(लाकेश कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

01/09/2025

ज्ञापांकः— ग्रा०वि०—६—NRLM/01-25/2025-५५०३५९ / ग्रा.वि.वि. पटना, दिनांकः—०१/०९/२०२५

प्रतिलिपि :— सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त / सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

01/09/2025

ज्ञापांकः— ग्रा०वि०—६—NRLM/01-25/2025-५५०३५९ / ग्रा.वि.वि. पटना, दिनांकः—०१/०९/२०२५

प्रतिलिपि :— सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

01/09/2025

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

प्राथमिक निवेश हेतु मांग प्रपत्र

सेवा में,
अध्यक्ष,

..... जीविका महिला ग्राम संगठन
ग्राम का नाम -
ग्राम पंचायत -
प्रखंड -, जिला -

मैं पिता/पति
श्रेणी (सामान्य/अनु.जाति/अनु.जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग) -
ग्राम -, वार्ड -,
ग्राम पंचायत का नाम , प्रखंड , जिला की निवासी हूँ | मैं
..... जीविका महिला स्वयं सहायता समूह, ग्राम - , ग्राम पंचायत -
..... ग्राम संगठन - की सदस्य हूँ | मेरा बैंक खाता
विवरणी- (बैंक का नाम खाता संख्या - शाखा -
..... , IFSC - हैं | मेरा आधार संख्या है |

मेरे परिवार में कुल सदस्य (पुरुष-....., महिला-.....) है | मुझे व्यवसाय करने हेतु मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से लाभान्वित किया जाय एवं प्राथमिक निवेश निधि के रूप में 10,000 रूपये की राशि प्रदान की जाय ।

मैं यह घोषणा करती हूँ कि मेरा बैंक बचत खाता मेरे आधार से जुड़ा है और बैंक खाता क्रियाशील है | मैं यह भी आश्वासन देती हूँ कि मेरे द्वारा योजना से प्राप्त राशि का उपयोग जीविकोपार्जन गतिविधियों में किया जायेगा । मैं इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अपने आधार से संबंधित सूचनाओं का उपयोग करने की सहमति देती हूँ।

आवेदनकर्ता का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर
मोबाइल नंबर-
दिनांक :

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

जीविकोपार्जन विकल्पों की सांकेतिक सूची

क्र.सं	व्यवसाय का नाम	टिक करे (✓)
1	फल/जूस / डेयरी प्रॉडक्ट दुकान	
2	सब्जी एवं फल दुकान	
3	किराना दुकान	
4	प्लास्टिक सामग्री/ बर्तन की दुकान (दैनिक उपयोग)	
5	खिलौना एवं जेनरल दुकान	
6	आटोमोबाइल रिपेयर दुकान	
7	मोबाइल बिक्री, रिपेयर, मोबाइल रिचार्ज	
8	स्टेशनरी एवं फोटोकॉपी दुकान	
9	खाद्य सामग्री दुकान	
10	ब्यूटी पार्लर / कॉस्मेटिक / कृत्रिम ज्वेलरी दुकान	
11	कपड़ा / फूट वियर / सिलाई दुकान	
12	बिजली उपकरण एवं बर्तन की दुकान	
13	कृषि कार्य	
14	ई-रिक्सा / ऑटो रिक्षा	
15	बकरी पालन	
16	मुर्गी पालन	
17	गौ पालन	
18	अन्य व्यवसाय (उद्यम का नाम स्वयं अंकित करें) (.....)	

आवेदक का हस्ताक्षर

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

ग्राम संगठन द्वारा अंतर्गत परिवार का अनुमोदन

1. परिवार की मूलभूत जानकारी

अनुमोदित महिला सदस्य का नाम	
पति / पिता का नाम	
परिवार के मुखिया का नाम	
गाँव का नाम	
वार्ड संख्या	
ग्राम पंचायत	
प्रखंड का नाम	
जिला का नाम	

जातिश्रेणी: अनुसूचित जाति (SC) अनुसूचित जन जाति (ST) पिछड़ा जाति (BC)

अत्यंत पिछड़ा जाति (EBC) अल्पसंख्यक (Minority) सामान्य (Gen.)

2. चयनित महिला किसी स्वयं सहायता समूह (SHG) का सदस्य है : हां

3. यदि हां, तो स्वयं सहायता समूह (SHG) का नाम : _____

4. परिवार की स्थिति (लाभार्थी): चयनित अस्वीकृत

कृपया सही (✓) का चिन्ह लगायें

5. अनुमोदक (ग्राम संगठन) की टिप्पणी : (चयन/ अस्वीकृति का कारण)

--

अध्यक्ष

सचिव

ग्राम संगठन के अध्यक्ष एवं सचिव का हस्ताक्षर (मुहर के साथ)
तारीख :

सामुदायिक समन्वयक
हस्ताक्षर

क्षेत्रीय समन्वयक
हस्ताक्षर

प्रखंड परियोजना प्रबंधक
हस्ताक्षर

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना,
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

स्वयं सहायता समूह में सदस्य बनने हेतु स्वघोषणा एवं आवेदन पत्र

सेवा में,

अध्यक्ष,

..... जीविका महिला ग्राम संगठन

ग्राम-....., ग्राम पंचायत

प्रखंड-....., जिला-.....

मैं पिता/ पति , उम्र.....

श्रेणी (सामान्य/अनु.जाति/अनु.जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग)

ग्राम....., वार्ड संख्या ग्राम पंचायत

प्रखंड....., जिला..... की निवासी हूँ | वर्तमान में मैं स्वयं सहायता समूह की सदस्य नहीं हूँ | मैं स्वयं सहायता समूह का सदस्य बनने के लिए इच्छुक हूँ तथा मैं स्वयं सहायता समूह की सदस्य बनने हेतु निर्धारित मापदंडों को पूरा करती हूँ -

मापदंड	नहीं / हाँ))
1. मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम है।	
2. मैं अथवा मेरे पति आयकर दाता की श्रेणी में नहीं हैं।	
3. मैं स्वयं अथवा मेरे पति सरकारी सेवा (नियमित/संविदा) में नहीं हैं।	
4. मैं समूह की बैठक में समय देने के लिए तैयार हूँ एवं समूह में कार्य करने की इच्छुक हूँ।	
5. मेरे परिवार से कोई अन्य वयस्क महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्य नहीं है।	

मैं आग्रह करती हूँ कि मुझे स्वयं सहायता समूह से जोड़ने हेतु तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाए | मैं यह घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी सही है एवं मैं इसकी पूर्ण जिम्मेदारी लेती हूँ।

आवेदनकर्ता का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर
दिनांक :